भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3113
उत्तर देने की तारीख : 11.07.2019

अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति

3113. श्री के॰ सुब्बारायणः
श्री एम॰ सेल्वराजः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रति वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय के एक करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है और मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा और मदरसा स्कूल तंत्र के बीच के अंतर को कम करने का भी निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): जी हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार ने केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 3.14 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इनमें से बालिकाएं लाभार्थियों का 50% से अधिक बैठती हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का केन्द्रीय रूप से अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5 करोड़ विद्यार्थियों को मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर एवं मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसमें 50% से अधिक छात्राएं शामिल होंगी। तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं और कार्यक्षमता में सुधार करने तथा दोहरेपन को हटाते हुए एवं हेरा–फेरी को रोकते हुए पारदर्शिता लाने के लिए 2015 से छात्रवृत्ति योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में कार्यान्वित की जा रही हैं।

मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा तथा मदरसा स्कूल प्रणाली के बीच के अंतर को कम करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा उपलब्ध कराने की अम्ब्रेला योजना (एसपीईएमएम) कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें दो योजनाएं नामतः मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) तथा अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसरंचना विकास (आईडीएमआई) शामिल हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं तथा ऐच्छिक स्वरूप की हैं।

एसपीक्यूईएम का उद्देश्य मदरसों और मकतबों जैसे पारंपरिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता देना; इन संस्थानों के छात्रों को विशेषकर माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जैसी शिक्षा

प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना; सहायता लेने वाले राज्य मदरसा बोर्डों को सुदृढ़ बनाना तथा योजना के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के आधुनिक विषयों के शिक्षण हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।

आईडीएमआई का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों (आरंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों) में स्कूली अवसंरचना का संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण करते हुए अल्पसंख्यकों की शिक्षा को सुसाध्य बनाना तथा लड़कियों, दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करना है।

******